तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व वाद मुकदमा नम्बर 59/2024** **अनवान नेमा बनाम आदूनाथ आदि**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
17.03.2025	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित आये है। बहस उभयपक्षकरान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 धारा 151 सीपीसी सपठित धारा 5 मियाद अधिनियम पर सुनी गई।	

वादी/प्रार्थी ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि प्रतिवादी/अप्रार्थी स. 23 की मृत्यु हो गई है जिसकी जानकारी वादिया प्रार्थिया को दिनांक 26.02.2025 को मुनीनाथ पुत्र लूणनाथ सिद्ध निवासी रीड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ़ ने दी है, इससे पहले वादिया/प्रार्थीया को प्रतिवादी/अप्रार्थी लूणनाथ की मृत्यु की जानकारी नहीं थी। वादिया/प्रार्थीया बरजांगसर की निवासी है तथा वादिया/प्रार्थीया का पीहर पुनरासर है। प्रतिवादी/अप्रार्थी शेरनाथ रीड़ी का निवासी है। वादिया/प्रार्थीया मृतक शेरनाथ को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती। जमाबंदी में प्रतिवादी/अप्रार्थी शेरनाथ का नाम आज भी चला आ रहा है। जमांबदी के आधार पर वादिया/प्रार्थीया ने शेरनाथ को भी प्रतिवादी/अप्रार्थी के रूप में पक्षकार संयोजित किया है। वादिया/प्रार्थीया को प्रतिवादी/अप्रार्थी शेरनाथ की मृत्यु की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 26.02.2025 को मुनीनाथ पुत्र लूणनाथ निवासी रीड़ी द्वारा दी गई इससे पहले वादिया/प्रार्थीया को शेरनाथ की मृत्यु की कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी से प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत है। प्रतिवादी/अप्रार्थी शेरनाथ के निम्न व्यक्ति जायज वारिसान है (1) मघनाथ–पुत्र (2) पेमनाथ–पुत्र (3) चन्दू – पुत्री (4) श्रवणनाथ–पुत्र (5) रतुनाथ–पुत्र (6) नेमनाथ–पुत्र (7) ओमनाथ–पुत्र (8) फूसी–पुत्री (9) सिंगारी–पुत्री (10) सन्तु–पुत्री (11) बाली–पुत्री (12) चुन्दू पत्नी रामनाथ पुत्रवधू–शेरनाथ (13) जगदीश पुत्र रामनाथ पौत्र शेरनाथ सिद्ध निवासीगण रीड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ़ है। वादिया/प्रार्थीया की जानकारी के मुताबिक उपरोक्त वर्णित के अलावा मृतक प्रतिवादी/अप्रार्थी शेरनाथ के अन्य कोई वारिस नहीं है। प्रतिवादी/अप्रार्थी सं. 23 शेरनाथ की मृत्यु की जानकारी वादिया/प्रार्थीया को दिनांक 26.02.2025 को ही हुई है जानकारी से अन्दर मियाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। चूंकि वादिया/प्रार्थीया को शेरनाथ की मृत्यु थी जानकारी 26.02.2025 को हुई इसलिए वादिया/प्रार्थीया मियाद में छूट प्राप्त करने की अधिकारणी है। वादिया/प्रार्थीया प्रतिवादी/अप्रार्थी शेरनाथ की मृत्यु के बाद दावा कार्यवाही को चालू रखना चाहती है एवं वादिया/प्रार्थीया का [illegible] फरमाया जाकर प्रतिवादी/अप्रार्थी स. 23 के नाम [illegible]दी/अप्रार्थी सं. 23/1 से 23/13 के रूप में [illegible] कर दावा कार्यवाही को निरन्त[illegible] किया गया। अपनी बहस के [illegible]य बोर्ड ऑफ रेवन्यू, राजस्थान, अजमेंर के न्यायिक [illegible]ान्त 2022(2)DNJ [Rev.] पृष्ठ संख्या 958 से 961 पेश की गई।

प्रतिवादी/अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.07 11:03:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

हुए कथन किया गया कि वादी का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित है, प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी शेरनाथ की मृत्यु की दिनांक वर्णित नहीं है। शेरनाथ की मृत्यु की दिनांक छिपाकर वादी ने उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है, जबकि वादी व प्रतिवादीगण एक ही समाज परिवार के व्यक्ति है, शेरनाथ की मृत्यु जनवरी 2024 में ही हो चुकी थी। वादी ने उक्त दावा ही मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। वादिनी की माता का पीहर ग्राम रिडी में है, इसलिए प्रतिवादी शेरनाथ की मृत्यु का ज्ञान वादीनी को नही होना माने जाने योग्य नहीं है, वादी का दावा वाद दायरी के समय से ही अबेट है। प्रतिवादी की मृत्यु हुए करीब 14 माह बीत चुके है। उक्त दावा में वादिनी ने घोषणात्मक अनुतोष की मांग की है। इसलिए उक्त दावा सम्पूर्ण ही अबेट है एवं अपनी बहस के समर्थन में माननीय बोर्ड ऑफ रेवन्यू राजस्थान के न्यायिक दृष्टान्त RLW 2003(1) पृष्ठ संख्या 569 से 574 लक्ष्मणदास बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान पेश की गई।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया गया। वादिनी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में शेरनाथ प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 23 की मृत्यु की दिनांक छिपाकर वादी ने उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। वादिनी/प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना एवं शपथ पत्र में प्रतिवादी संख्या 23 की मृत्यु की दिनांक का कही भी उल्लेख नहीं किया गया है एवं केवल मात्र प्रस्तुत शपथ पत्र में मृत्यु करीब 12 माह पूर्व होना अंकित किया गया जबकि वादी व प्रतिवादीगण एक ही समाज परिवार के व्यक्ति है। प्रतिवादी/अप्रार्थी द्वारा प्रतिवादी संख्या 23 शेरनाथ की मृत्यु जनवरी 2024 में ही हो चुकी थी का कथन किया गया है। वादिनी की माता का पीहर ग्राम रिडी में है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 23 शेरनाथ की मृत्यु का ज्ञान वादीनी को नही होना माने जाने योग्य नहीं है, प्रतिवादी की मृत्यु हुए करीब 01 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है। आदेश 22 नियम 4 के प्रावधानों के अनुसार वाद स्वतः अबेट हो चुका है क्यो कि प्रतिवादी संख्या 23 शेरनाथ की मृत्यु करीब 1 वर्ष पूर्व हो चुकी है,। जिसके लिए वादीनी/प्रार्थीनी द्वारा कायम मुकाम बनाने हेतु निर्धारित अवधि 90 दिवस के अन्दर कायम मुकाम बनाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। 90 दिवस के बाद दावा स्वतः ही अबेट हो जाता है, 90 दिवस के पश्चात अबेटमेन्ट को निरस्त करवानें हेतु प्रार्थना पत्र 60 दिनो के अन्दर मियांद अधिनियम के तहत प्रस्तुत करना आवश्यक है वादिनी/प्रार्थिया आदेश 22 नियम 9 एवं मियाद अधिनियम धारा 5 के तहत [illegible] प्राप्त करनें के अधिकारी नहीं है। कानूनी रूप से भी दावा पूर्णतया अबेट हो चुका है। लिहाजा वादिनी/प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व धारा 151 सीपीसी सपठित धारा 5 मियाद अधिनियम इसी स्तर पर खारिज किया जाकर वादीनी का वाद अबेटमेन्ट में खारिज किया जाता है।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.07 11:03:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

वादिनी नया वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली वाद निर्णय दायरा रजिस्टर में रो कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय सारे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.07 11:03:08 IST
Reason: SelfAttested